

भ्रष्टाचार से नपिटने के लिये नैतिक अनविार्यता

"भ्रष्टाचार की कीमत गरीब चुकाते हैं।" - पोप फ्रांसिस

भारत में भ्रष्टाचार गहराई तक व्याप्त है, जो शासन और जनता के विश्वास को कमजोर कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला लेवी, झारखंड और केरल जैसे राज्यों में आईएस अधिकारियों द्वारा धन शोधन तथा कॉर्पोरेट कदाचार जैसे सत्यम घोटाला तथा हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस भ्रष्टाचार निरीधक ब्यूरो द्वारा जाँच की जा रही प्रमुख नज्जि कंपनियों में कथति रशिवतखोरी के मामले, प्रणालीगत भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ये मामले व्यक्तगत लाभ के लिये सत्ता के व्यापक दुरुपयोग को दर्शाते हैं।

ये घटनाएँ कौटलिय के अरथशास्त्र में दिये गए इस शाश्वत अवलोकन को प्रतधिवनति करती हैं, "जसि तरह जल के नीचे चलती मछली को पानी पीते या न पीते हुए नहीं देखा जा सकता, उसी तरह सरकारी कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों को अपने लिये पैसे लेते हुए नहीं देखा जा सकता।" यह गहन सादृश्य भ्रष्टाचार की सूक्ष्म और व्यापक प्रकृति को रेखांकित करता है। यह भ्रष्टाचार की समग्र जाँच की मांग करता है ताकि प्रभावी समाधान तैयार किये जा सकें जो ईमानदारी, समानता एवं न्याय को बनाए रख सकें।

भ्रष्टाचार के नैतिक आयाम क्या हैं?

- **विश्वास का उल्लंघन:** भ्रष्टाचार अधिकारियों को नज्जि लाभ के लिये सत्ता का दुरुपयोग करने की अनुमति देकर जनता के विश्वास को तोड़ता है, जसिसे शासन में विश्वास कम होता है।
 - भ्रष्टाचार वषिम शक्तिगतशीलता को भी दर्शाता है जो सामाजिक नषिपक्षता को नुकसान पहुँचाता है, संस्थाओं में विश्वास को खतम करता है तथा ईमानदारी, जवाबदेही और न्याय के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जसिसे समाज के सामूहिक कल्याण व नैतिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचता है।
 - लोक सेवकों को समुदाय की सेवा करने के लिये शक्ति और संसाधन सौंपे जाते हैं तथा उन संसाधनों का नज्जि लाभ के लिये उपयोग करना नैतिक ज़िम्मेदारी का उल्लंघन है।
- **वधि के शासन का उल्लंघन:** भ्रष्टाचार वधि के शासन को नष्ट कर देता है और ऐसी व्यवस्था बनाता है जहाँ वधि को चुनदि रूप से लागू किया जाता है। यह न्यायिक अखंडता को कमजोर करता है और नागरिकों को एक नषिपक्ष वधि प्रणाली की सुरक्षा से वंचित करता है।
- **अन्याय और असमानता:** भ्रष्टाचार उन लोगों के लिये अनुचित लाभ उत्पन्न करके असमानता को बढ़ावा देता है जो रशिवत दे सकते हैं जबकि उन लोगों को वंचित स्थिति में रखता है जो नहीं दे सकते।
 - इससे बुनियादी सेवाओं, आर्थिक अवसरों और न्याय तक पहुँच वकित हो जाती है जसिसे एक ऐसा समाज बन जाता है जहाँ योग्यता तथा आवश्यकता को दरकिनार कर दिया जाता है।

सुभेदय

- **सुभेदय का शोषण:** भ्रष्टाचार प्रायः सुभेदय व्यक्तियों या समूहों का शोषण करता है, उन्हें रशिवत देने या अनैतिक व्यवहार अपनाने के लिये मजबूर करता है, जसिसे समाज में नषिपक्षता और न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
 - इससे हाशिये पर पड़ी आबादी पर बोझ बढ़ता है तथा उनकी स्थिति और खराब होती है।
- **नैतिक अखंडता से समझौता:** भ्रष्टाचार में लपित व्यक्तियों के लिये, अक्सर व्यक्तगत अखंडता से समझौता करना पड़ता है।
 - रशिवत लेना या देना व्यक्त के नैतिक मूल्यों को भ्रष्ट करता है तथा व्यक्तगत एवं संस्थागत दोनों स्तरों पर नैतिक मानकों को नष्ट करता है।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व को कमजोर करना:** भ्रष्टाचार सामूहिक सामाजिक कल्याण से ध्यान हटाकर व्यक्तगत लाभ पर केंद्रित कर देता है।
 - नैतिक दृष्टि से, यह सामान्य कल्याण के प्रति उषेक्षा को दर्शाता है तथा समग्र रूप से समाज के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना को कमजोर करता है।
- **विकास और प्रगति में बाधा:** भ्रष्टाचार सार्वजनिक संसाधनों को अन्यत्र भेजकर, अकुशलता को बढ़ावा देकर तथा नविश को हतोत्साहित करके आर्थिक विकास को बाधित करता है।
 - नैतिक दृष्टिकोण से, यह सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है और ठहराव की संस्कृति उत्पन्न करता है, जसिसे समाज अपनी क्षमता प्राप्त करने से रुक जाता है।

भ्रष्टाचार पर वभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण क्या हैं?

- **कौटिल्य का वास्तविक राजनीति दृष्टिकोण:** कौटिल्य ने शासन में भ्रष्टाचार की अपरहार्यता को स्वीकार किया और प्रणालीगत सत्कर्ता के माध्यम से रोकथाम पर बल दिया।
 - नयिमति लेखा-परीक्षण और आकस्मिक नरीक्षण जैसे उनके तरीके सत्ता के दुरुपयोग के वरिद्ध नविरक रणनीतिके रूप में प्रसंगिक बने हुए हैं।
- **आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार:** नोबेल पुरस्कार वजिता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टग्लिटिज़ ने धन संकेंद्रण और प्रणालीगत भ्रष्टाचार के बीच संबंध पर प्रकाश डाला है।
 - उनका तर्क है कि नीतियाँ अक्सर अभिजात वर्ग के पक्ष में होती हैं, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है जहाँ भ्रष्टाचार और असमानता एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं।
- **रॉबर्ट क्लटिगारड का भ्रष्टाचार समीकरण:** क्लटिगारड का समीकरण ($C = M + D - A$) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में एकाधिकार (M), वविकाधिकार (D) और जवाबदेही की कमी (A) की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
 - यह रूपरेखा अत्यधिक वविकाधिकार को कम करने तथा संस्थागत नगिरानी बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- **सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन:** भ्रष्टाचार नागरिकों और अधिकारियों के बीच सामाजिक अनुबंध को कमज़ोर करता है।
 - लोक सेवकों को जनता के कल्याण के लिये कार्य करने का अधिकार सौंपा जाता है, लेकिन जब वे नजिी लाभ के लिये इस वशिवास का दुरुपयोग करते हैं तो वे इस नैतिक अनुबंध का उल्लंघन करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का वशिवास कमज़ोर होता है।
 - वशिषज्जों का तर्क है कि एक वैध सरकार आपसी वशिवास पर टिकी होती है और भ्रष्टाचार इस वशिवास को नष्ट कर देता है, जिससे जनता में नरिशा उत्पन्न होती है और व्यवस्था अस्थिर हो जाती है।
- **उपयोगितावादी आलोचना: उपयोगितावादी दृष्टिकोण से,** भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवा और शक्ति जैसी आवश्यक सेवाओं से संसाधनों को हटाकर सामाजिक कल्याण को नुकसान पहुँचाता है।
 - भ्रष्टाचार सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा नजिी लाभ को प्राथमिकता देता है, जिससे असमानता उत्पन्न होती है और समग्र खुशहाली कम होती है, जिससे सामाजिक खुशी को बढ़ावा देने के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
- **कर्त्तव्य-संबंधी दृष्टिकोण: कर्त्तव्य-संबंधी नैतिकता में,** कर्त्तव्य और नैतिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहाँ कार्यों को सही या गलत इस आधार पर माना जाता है कि वे वशिष्ट नैतिक नयिमों या कानूनों के अनुरूप हैं या नहीं, भले ही परिणाम कुछ भी हों।
 - नजिी लाभ के लिये संसाधनों का दोहन करके भ्रष्टाचार इस कर्त्तव्य का सम्मान करने में वफिल हो जाता है, लोगों को साध्य के बजाय साधन मानता है और मौलिक नैतिक ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन करता है।
- **सदाचार नैतिकता: सदाचार नैतिकता ईमानदारी, नसिवार्थता और जवाबदेही** जैसे नैतिक चरित्र के विकास पर जोर देती है।
 - भ्रष्टाचार इन सद्गुणों के स्थान पर लालच और स्वार्थ को जन्म देता है, जिससे नेतृत्व की नैतिक गुणवत्ता कमज़ोर हो जाती है।

भ्रष्टाचार से लड़ने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- **भ्रष्टाचार का सांस्कृतिक सामान्यीकरण:**
 - सांस्कृतिक स्वीकृति: भ्रष्टाचार की सांस्कृतिक स्वीकृति शासन और सामाजिक वशिवास के नैतिक आधार को कमज़ोर करती है।
 - जब भ्रष्टाचार सामाजिक मानदंडों में अंतरनहित हो जाता है, तो इस पर सवाल उठाना अधिक कठिन हो जाता है तथा इन प्रथाओं को समाप्त करने और नैतिक व्यवहार को बहाल करने के लिये सामाजिक सत्कर्ता की आवश्यकता होती है।
 - जब समाज नैतिकता से ज़्यादा नतीजों को प्राथमिकता देता है तो ईमानदार अधिकारियों को अनुचित कलंक का सामना करना पड़ता है, उन्हें डरपोक और अव्यवहारिक करार दिया जाता है। उनकी ईमानदारी को गलत तरीके से अक्षमता के रूप में समझा जाता है जबकि भ्रष्ट आचरण को गलत तरीके से व्यावहारिक समाधान के रूप में मनाया जाता है।
 - इससे सार्वजनिक और नजिी जीवन में ईमानदारी, वशि्वसनीयता एवं पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्य कमज़ोर होते हैं।
 - संस्थाओं में वशिवास की कमी: जब भ्रष्टाचार व्यापक हो जाता है, तो लोगों का सरकारी संस्थाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में वशिवास खत्म हो जाता है, जिससे उनके भ्रष्ट आचरण में भाग लेने या उसे सहन करने की संभावना बढ़ जाती है।
 - इससे एक दुष्चक्र नरिमित होता है, जहाँ जनता या तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को जारी रखने में भागीदार हो जाती है, क्योंकि वह इसे अपरहार्य या यहाँ तक कि लाभकारी मानती है।
- **कमज़ोर जवाबदेही तंत्र:**
 - भ्रष्टाचार वशिधी कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन: यद्यपि भ्रष्टाचार नविरण अधिनयिम जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन प्रणालीगत अकुशलता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उनका प्रवर्तन बाधित होता है, जिससे अपराधी जवाबदेही से बच निकलते हैं।
 - RTI जैसे कानूनी प्रावधान जवाबदेही को सशक्त बनाते हैं, लेकिन सीमिति जागरूकता और प्रतरिध इसके प्रभाव में बाधा डालते हैं।
 - नजिी क्षेत्त्र में मज़बूत भ्रष्टाचार वशिधी कानूनों के बावजूद, प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिये बेहतर कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता है।
 - प्रभावी नगिरानी का अभाव: भ्रष्टाचार से निपटने में सबसे बड़ी बाधा सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्त्रों में जवाबदेही तंत्र की कमज़ोरी है।
 - लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जाँचों और दंडात्मक कार्रवाइयों में अक्सर पारदर्शिता का अभाव होता है, जिसके कारण भ्रष्ट गतिविधियाँ अनदेखी हो जाती हैं या दंडित नहीं हो पाती हैं।
 - भ्रष्ट व्यक्तियों के लिये दण्ड से मुक्ति: कई मामलों में, भ्रष्ट व्यक्ति, वशिषकर सत्ता के पदों पर बैठे लोग, अपने राजनीतिक या वतितीय प्रभाव के कारण दण्ड से मुक्त रहते हैं।
 - कानूनी प्रणालियाँ अकुशल, धीमी या रशिवत के कारण समझौतापूर्ण हो सकती हैं, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाना मुश्किल हो जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार जोखिम-मुक्त है और जनता के बीच अन्याय की भावना को बढ़ावा देता है।

- भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों के लिये सुरक्षा का अभाव: भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों के लिये उचित सुरक्षा कानूनों का अभाव, प्रतिलिपि के भय से लोगों को भ्रष्टाचार की सूचना देने से रोकता है।
 - कानूनी ढाँचे की सहायता के बिना, मुखबरियों को अक्सर चुप करा दिया जाता है या दंडित किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की क्षमता कमजोर हो जाती है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिये आगे की राह क्या होनी चाहिये?

■ दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC):

- भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये भ्रष्टाचार वरिधी एजेंसियों को संस्थागत स्वायत्तता, पर्याप्त संसाधन और राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।
- सार्वजनिक अधिकारियों की विकाधीन शक्तियों को सीमित करने से यह सुनिश्चित होता है कि निरिणय स्थापित नियमों के आधार पर लिये जाएं, जिससे भ्रष्ट आचरण के अवसर कम हो जाएं।
- सामाजिक लेखापरीक्षा और नागरिक चार्टर के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने से समुदायों को अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में सहायता मिलती है, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता तथा विश्वास बढ़ता है।

■ विश्व बैंक की सफ़ारिशें:

- भ्रष्टाचार से निपटने के लिये ई-गवर्नेंस को लागू करने से सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है, मानवीय हस्तक्षेप कम किया जा सकता है और दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
- भ्रष्टाचार के दीर्घकालिक परिणामों के विषय में नागरिकों को शक्ति देने तथा अनैतिक प्रथाओं का विरोध करने तथा उनकी रिपोर्ट करने के लिये उन्हें सशक्त बनाने हेतु जन जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।
- इसके अतिरिक्त, कॅरियर में उन्नति और मान्यता के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों के बीच नैतिक व्यवहार को मान्यता देना एवं पुरस्कृत करना, ईमानदारी के लिये मज़बूत प्रोत्साहन उत्पन्न कर सकता है तथा प्रणाली के भीतर जवाबदेही व ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।

■ विभिन्न विचारकों की सफ़ारिशें:

- कौटिलिय ने भ्रष्टाचार का पता लगाने और उसे रोकने के लिये नियमित निगरानी, लेखा परीक्षा तथा आकस्मिक निरीक्षण के महत्त्व पर बल दिया।
- रॉबर्ट क्लटिगार्ड ने सत्ता के एकाधिकार को कम करके, विकाधिकार को सीमित करके और जवाबदेही बढ़ाकर भ्रष्टाचार से निपटने का सुझाव दिया है।
- जोसेफ स्टगिलिट्ज़ आर्थिक असमानता को दूर करके पारदर्शिता में सुधार लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये संस्थाओं को मज़बूत बनाने का समर्थन करते हैं, ताकि इसके संरचनात्मक एवं आर्थिक दोनों कारणों से निपटा जा सके।

नषिकर्ष

भ्रष्टाचार एक जटिल चुनौती है जिसके लिये बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कानूनी ढाँचे को मज़बूत करके, "???" (जहाँ धार्मिकता है, वहाँ वजिय है) जैसी दार्शनिक अंतर्दृष्टि को कार्रवाई में शामिल करके और सामाजिक सतर्कता को बढ़ावा देकर, इसके प्रभाव को कम करना संभव है। नैतिक शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से जनता का विश्वास बहाल करना एक अधिक समतापूर्ण तथा न्यायपूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब नेता ईमानदारी, जवाबदेही और नषिकर्षता को अपनाते हैं तो उनका नैतिक आचरण संस्थागत प्रथाओं को आकार देता है तथा पूरे संगठनात्मक पदानुक्रम में ईमानदारी को प्रेरित करता है। इसलिये, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना न केवल एक कानूनी अनिवार्यता है बल्कि सामूहिक कार्रवाई की मांग करने वाला एक नैतिक दायित्व है।